

मध्य प्रदेश शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक-एफ-19-27/2017/पी-1/31
प्रति,

भोपाल, दिनांक...../...../2020

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल ।

विषय - "न मांग न जांच" प्रमाण पत्र बावत्- श्री अवतार सिंह, से0नि0 कार्यपालन यंत्री

---00---

श्री अवतार सिंह, कार्यपालन यंत्री अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दि. 30.06.2017 से सेवा निवृत्त हुये।

2/ श्री अवतार सिंह, कार्यपालन यंत्री सम्पूर्ण सेवा काल में कभी भी नर्मदा घाटी विकास विभाग में पदस्थ नहीं रहे हैं।

3/ शासन स्तर पर प्रचलित विभागीय जांच आदेश क्रमांक- एफ-16-23/2017/पी-2/31 दि. 14.08.2020 द्वारा श्री अवतार सिंह के विरुद्ध प्रचलित विभागीय जांच प्रकरण में अंतिम आदेश पारित करते हुये म0प्र0 सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम-9 के अन्वय में श्री सिंह को देय पेंशन राशि में से 05 प्रतिशत पेंशन राशि 02 वर्ष के लिये वापस लेये जाने की शक्ति अधिरोपित करते हुये प्रकरण समाप्त किया गया है।

अतः विभागीय दण्डादेश दिनांक 14.08.2020 के अनुपालन की शर्त पर श्री अवतार सिंह सेवा निवृत्त कार्यपालन यंत्री के पक्ष में "न मांग न जांच" प्रमाण पत्र जारी किया जाता

(प्रमोद कुमार खरे)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

जल संसाधन विभाग भोपाल


क्रमांक-एफ-19-27/2017/पी-1/31
प्रति प्रति-

भोपाल, दिनांक 14/09/2020

1. प्रमुख अभियंता, यमुना कछार जल संसाधन विभाग ग्वालियर।
2. अधीक्षक यंत्री, जल संसाधन मंडल ग्वालियर।
3. संबंधित कोषालय अधिकारी.....

//2//

4. संबंधित अधिकारी, श्री अवतार सिंह, से0नि0 कार्यपालन मंत्री (द्वारा-प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग)
5. वीय मैनेजर, प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर विभाग की वेबसाइट पर प्रविष्टि हेतु।
6. भद्रक पंजी ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


अवर सचिव 14/9/20
मध्य प्रदेश शासन,
जल संसाधन विभाग, भोपाल